

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नन्दलाल बनाम तेजाराम वगैरह

किस्म मुकदमा- 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 472/2025 (अजमेर)

3.3
12/11/25

	<p>श्री मदनलाल गुर्जर</p>
<p>01.10.2025</p>	<p>नन्दलाल बनाम तेजाराम वगैरह (2025/472)</p> <p>यह अपील श्री मदनलाल गुर्जर एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2025 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी (अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत) पेश किया। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 13.10.2025 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>
<p>13.10.2025</p>	<p>पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को सुरक्षित रखते हुए अभिभाषक अपीलांत को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।</p> <p>अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना-पत्र व अधीनस्थ न्यायालय के प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्रों पर विश्वास करते हुए वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद बाबत वाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2025 की पालना एवं प्रभाव को आगामी पेशी तक स्थगित कर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः आदेश दिये जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2025 की पालना, प्रभाव एवं क्रियान्विति को आगामी पेशी तक स्थगित रखा जाकर विवादित आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 12.11.2025 तक बनायी रखी जाती है।</p> <p>अभिभाषक अपीलांत रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 11 के रजिस्टर्ड एडी /साधारण नोटिस पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>

12/11/25

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को सुरक्षित रखते हुए अभिभाषक अपीलांत को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना-पत्र व अधीनस्थ न्यायालय के प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्रों पर विश्वास करते हुए वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद बाबत वाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2025 की पालना एवं प्रभाव को आगामी पेशी तक स्थगित कर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2025 की पालना, प्रभाव एवं क्रियान्विति को आगामी पेशी तक स्थगित रखा जाकर विवादित आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 12.11.2025 तक बनायी रखी जाती है।

अभिभाषक अपीलांत रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 11 के रजिस्टर्ड एडी /साधारण नोटिस पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.11.2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रजिस्ट्री
2025-86
12/11/25
रजिस्ट्री
R-1-11
16/11/25

RAA

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम छातडी तहसील व जिला
अजमेर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

.....तरतीबी रेस्पोजेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड
अधिकारी महोदय, अजमेर दिनांक 3.6.2025 राजस्व
प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 बउनवानी तेजाराम
बनाम नन्दलाल में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है:-

अ. यह कि इस अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है
कि प्रार्थी/रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट व अन्य शेष रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध
विद्वान सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय
मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छातडी
तहसील व जिला अजमेर मे अप्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज आराजी
खाता संख्या नया व पुराना 427 के खसरा नं० 1042 व 1048
अवस्थित है। ग्राम छातडी मे प्रार्थीगण/अपीलांट की खातेदारी आराजी
खाता सं० नया व पुराना 303 के खसरा नं० 1047 अवस्थित है। नजरी
नक्शे के अनुसार रेस्पोजेन्ट के खसरा नं० 1042 के पश्चिम मे पक्की नहर
तथ पूर्व मे अपीलांट के खसरा नं० 1047 ताबाद मुख्य आम रास्ता है
जो ग्राम छातडी मे जाता है रेस्पोजेन्ट के खसरा नं० 1042 मे रेस्पोजेन्ट का
रहवासी आवास बना हुआ है तथा कृषि उपकरण रखे हुए है जिस पर
आने जाने हेतु अपीलांट के खसरा नं० 1047 के उत्तरी सीमा के
सहारे-2 रास्ते का उपयोग किया जाता है। तथा सबसे नजदीकी कम
भूमि हास का सुगत तथा सीधा रास्ता है इसके अलावा रेस्पोजेन्ट के पास
अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और अन्त मे निवेदन किया कि
प्रार्थी/रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की खातेदारी आराजी मे आने जाने के लिए
अपीलांट की आराजी खसरा नं० 1047 की उत्तरी सीमा के सहारे-2
रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर परीक्षण न्यायालय